13/4/18 पत्रावली पेश हुई। गैर सायल अधिवक्ता अनुपस्थित। तीन बार आवाज लगाई गई लेकिन कोई उपस्थित नही हुआ। अतिक्रमी को 25/2/18 को नोटिस तामील हुआ। उसके पश्चात अनेक बार जवाब साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया लेकिन अतिक्रमी द्वारा अथवा उनके अधिवक्ता द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत नही किया गया। इससे स्पष्ट है कि गैर सायल इस संदर्भ मे कुछ भी कहना नही चाहते एवं किसी प्रकार का साक्ष्य (न्याय संगत) भी नही है।

अतः गैर सायल को अतिक्रमी घोषित किया जाता है। निर्णय अलग से लिखा जाकर प्रस्तुत है। निर्णय खुले न्यायालय मे सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

नायब तहसीलदार सिणधरी

वर्ष 2018-19 के राजस्व लेखा पंजिका सं. 4 के पृष्ठ सं. 2 पर क्र.सं. 6 पर जुर्माना/फसल नीलामी राशि रू. 200+900 = 1100 की मांग दर्ज की गई।

13.7.18

तहसील राजस्व लेखाकार

तहसील सिणधरी

Scanned by CamScanner

(देखिये नियम 3)

नोटिस

राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत

न्यायालय नायब तहसीलदार सिणधरी

प्रकरण स0 41/2018 संवत 2074 सन 2018

राज्य सरकार बजरिये पटवारी बनाम भूराराम पुत्र दुर्गाराम कलबी सा० गोलिया जीवराज

पटवारी हल्का गोलिया जीवराज ने रिर्पोट पेश कर सूचित किया कि आप मौजा गोलिया जीवराज के खसरा नम्बर 02 किस्म भूमि गै.मु. गोचर रकबा 34-10 बीघा में से 02-10 बीघा भूमि पर अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण किया हैं।

इसके द्वारा आपको नोटिस दिया जाता हैं कि आप दिनांक 05/03/18 से पूर्व भूमि को खाली कर दे अथवा स्वयं या लीडर द्वारा दिनांक 05/03/2018. को 10.30 बजे पूर्वान्ह अदालत हाजा में हाजिर होवें तथा हेतुक दर्शित करे कि आपको वहां से बेदखल क्यों नही किया जावें। आपसे यह हेतुक दर्शित करने की भी अपेक्षा की जाती है कि उक्त भूमि पर उक्त प्रकार विधि विरुद्ध किये गये अतिक्रमण के लिये विधि सम्मत शास्ति क्यों न अधिरोपण की जावे। आपसे यह दर्शित करने के आपको तीन माह तक की अवधि के लिये क्यों नही सिविल कारावास सुपुर्द कर दिया जावे वार्षिक लगान का निर्धारण जैसी भी स्थिति हो के 50 गुणा तक की शास्ति सदमय करने की अपेक्षा की जाती हैं।

यह भी ध्यान रहे कि उक्त तारीख, समय तथा स्थान पर हाजिर होने में आपके असफल रहने पर उक्त मामला आपकी गैर हाजिर होने में आपके असफल रहने पर उक्त मामला आपकी गैर हाजरी में निश्चित किया जावेगा।

आज दिनांक 19/02/18 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया।

न्यायालय नायब तहसीलदार सिणधरी (बाड़मेर)

नायब तहसीलदार सिणधरी

Scanned by CamScanner